

प्रेस नोट दिनांक-02.07.2022

(1). दिनांक-01.07.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(2). आज दिनांक 02.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गया।

(3). आज दिनांक-02.07.2022 को श्रीमान मण्डलायुक्त महोदय श्री दिनेश कुमार एवं श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री विपिन कुमार मिश्रा द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के साथ थाना बहिलपुरवा अन्तर्गत ग्राम सेहरिन मजरा मडैय्यन में दिनांक-05.07.2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 सरकार के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल, पौधारोपण स्थल एवं हैलीपैड का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए जायजा लिया एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री अमित आसेरी, अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय, डीएफओ0 चित्रकूट, रेंजर, थाना प्रभारी बहिलपुरवा, पीआरओ श्री वीर प्रताप सिंह एवं अन्य विभाग के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वाँछित व 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 548/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त शारदा प्रसाद उर्फ चम्पू पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी मछलीमण्डी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी शिवम गुप्ता द्वारा मु0अ0सं0 585/2016 धारा 323/504/506 भादवि0 व 3(1)घ एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त मुकेश सिंह पुत्र राजकरन पटेल निवासी चितरागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). थानाध्यक्ष सरधुवा प्रवीण कुमार सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी वेदप्रकाश, आरक्षी बब्बू राजा द्वारा मु0अ0सं0 05/2022 धारा 452/354/504/506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वाँछित अभियुक्त रविकुमार यादव पुत्र स्व0 बिन्दा प्रसाद यादव निवासी औदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह द्वारा ससुर बहू के आपसी विवाद को समाप्त कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि मोहनलाल पुत्र बहोरी लाल निवासी मछली मंडी भैरव पागा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी बहू श्रीमती शांति देवी पत्नी रितेश कुमार उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती है । प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह द्वारा दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर बात सुनी गयी । बहू को समझाते हुए भविष्य लड़ाई झगड़ा न करने की बात कही गयी । दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता कर लिए । प्रभारी निरीक्षक महिला थाना द्वारा भविष्य में लड़ाई झगड़ा न करने हेतु हिदायत दी गयी ।

समझौता करवाने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह
2. आरक्षी अरविन्द्र कुमार
3. आरक्षी नीतू द्विवेदी
4. महिला आरक्षी स्वेता